रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032024-252600 CG-DL-E-05032024-252600

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 973]

No. 973]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 5, 2024/फाल्गुन 15, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 5, 2024/PHALGUNA 15, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1018(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 के साथ पिठत धारा 17 और धारा 25 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रेजिन ट्रीटेड कम्प्रेस्ड वुड लेमिनेट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय ऐसे कार्यों के संबंध में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या जिनके किए जाने से छूट प्रदान किया गया, केंद्र सरकार का यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को रेजिन ट्रीटेड कम्प्रेस्ड वुड लेमिनेट्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश 14 जनवरी, 2025 से लागू होगा:

बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 14 अप्रैल, 2025 से लागू होगा।

1490 GI/2024 (1)

बशर्ते यह भी कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश 14 जुलाई, 2025 से लागू होगा।

- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग.- तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।
- (2) बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी, निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।
- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी.- यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- **4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी –** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

सामान या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
रेजिन ट्रीटेड कम्प्रेस्ड वुड लेमिनेट्स	3513(भाग 1):1989	रेजिन ट्रीटेड कम्प्रेस्ड वुड लेमिनेट्स (कॉम्प्रेग्स) विद्युतीय उद्देश्य के लिए
	3513(भाग 2):1989	रेजिन ट्रीटेड कम्प्रेस्ड वुड लेमिनेट्स (कॉम्प्रेग्स) रासायनिक उद्देश्य के लिए
	3513(भाग 3):1989	रेजिन ट्रीटेड कम्प्रेस्ड वुड लेमिनेट्स (कॉम्प्रेग्स) सामान्य उद्देश्य के लिए

नोट: इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-14031/33/2023-सीआई] संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 29th February, 2024

- **S.O. 1018(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Resin treated compressed wood laminates (Quality Control) Order, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- **1. Short title and commencement. -** (1) This Order may be called the Resin Treated Compressed Wood Laminates (Quality Control) Order, 2024.
 - (2) It shall come into force with effect from the 14th January,2025:

Provided that in respect of small enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 14th April, 2025:

Provided further that in respect of micro enterprises, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from the 14th July, 2025.

- 2. **Compulsory use of Standard Marks.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:
- (2) Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:
- **3.** Certification and enforcing authority.- The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (1) of the Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Resin treated compressed wood laminates	3513 (Part 1):1989	Resin treated compressed wood laminates (compregs) - For electrical purposes
	3513 (Part 2):1989	Resin treated compressed wood laminates (compregs) -
		For chemical purposes
	3513 (Part 3):1989	Resin treated compressed wood laminates (compregs) -
		For general purposes

Note:- For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-14031/33/2023-CI] SANJIV, Jt. Secy.